


# श्रमिकों के मुआवजा लाभ और कोविड-19

श्रमिकों के मुआवजा लाभों को आपकी कार्य-संबंधी चोट या बीमारी से ठीक होने के लिए आवश्यक उपचार हेतु भुगतान करने के लिए बनाया गया है, जैसे कार्यस्थल पर कोविड-19 का होना। वे आंशिक रूप से आपके ठीक होने के दौरान आपके खोए गए वेतन की जगह लेते हैं, और आपकी काम पर लौटने में सहायता करता है। ये लाभ कर्मचारियों को उनकी आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना उपलब्ध हैं।



यदि आपको लगता है कि आप काम पर कोविड-19 के संपर्क में आए थे, तो आपको अपने नियोक्ता को तुरंत सूचित करना चाहिए और कर्मचारी क्षतिपूर्ति लाभ के लिए दावा दायर करना चाहिए।



यदि आपकी बीमारी एक आपातकालीन स्थिति है, तो 911 पर कॉल करें या तुरंत आपातकालीन कक्ष में जाएं। मेडिकल स्टाफ को बताएं कि आपकी कोविड-19 बीमारी, नौकरी से संबंधित है। यदि आप इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं, तो आगे के निर्देशों के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क करें।

## अपना दावा कैसे दर्ज करें



- अपने नियोक्ता को बताएं कि आप कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावा दायर करना चाहते हैं या कर्मचारी मुआवजा विभाग की वेबसाइट से दावा प्रपत्र भरें।



- आपका नियोक्ता अपने हिस्सों को भरकर बीमा कंपनी को भेज देगा।

- अपने रिकॉर्ड के लिए अपने नियोक्ता से एक प्रति का अनुरोध करना सुनिश्चित करें।



- दावा प्रपत्र भरने के एक दिन के भीतर, आपका नियोक्ता उचित चिकित्सा उपचार को अधिकृत करेगा। आपके नियोक्ता द्वारा यह निर्णय लेने के दौरान कि आपके दावे को स्वीकार करना है या नहीं, आप चिकित्सा उपचार में \$10,000 तक प्राप्त कर सकते हैं।

## आगे क्या होगा?



यदि आपको 14 दिनों के भीतर अपने दावे की स्थिति पर एक पत्र नहीं मिलता है, तो अपडेट के लिए बीमा कंपनी को कॉल करें।



यदि आपका नियोक्ता 90 दिनों के भीतर आपके दावे को अस्वीकार नहीं करता है, तो आपकी चोट को कवर माना जाता है।

## अभी भी प्रश्न हैं?

यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कर्मचारी मुआवजा विभाग से संपर्क कर सकते हैं या रिकॉर्ड की गई जानकारी के लिए **1-800-736-7401** पर कॉल करें।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएं:  
[dir.ca.gov/dwc/injuredworker.htm](http://dir.ca.gov/dwc/injuredworker.htm)

